संख्या-85/2020/4019/71-2-2020-पी-66/2013

प्रेषक,

शुभ्रा सक्सेना,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 दिसम्बर, 2020

विषयः- संस्थान परिसर के अंतर्गत न्यू डायग्नोस्टिक ब्लाक के निर्माण कार्य हेतु शासन द्वारा स्वीकृत लागत रू0 1708.78 लाख के सापेक्ष जी0एस0टी0 के मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-88/2014/431/ 2020, दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान परिसर के अंतर्गत न्यू डायग्नोस्टिक ब्लाक के निर्माण कार्य से संबंधित शासन द्वारा स्वीकृत लागत रू0 1708.78 लाख के सापेक्ष जी0एस0टी0 के मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि 86.14 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- संस्थान परिसर में निर्माणाधीन न्यू डायग्नोस्टिक ब्लाक के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-66/2019/2132/71-2-19-पी-66/2013, दिनांक 02-01-2020 द्वारा रू0 1708.78 (जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर नियमानुसर देय) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त अनुमोदित लागत के सापेक्ष अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल रू0 1623.35 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 में संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के न्यू डायग्नोस्टिक ब्लाक के निर्माण कार्यो हेतु जी0एस0टी0 मद में वास्तविक व्यय की गयी धनराशि रू0 86.14 लाख (रू0 छियासी लाख चौदह हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक/ वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन धनराशि का आंकलन करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को कोई रिफण्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा प्रश्नगत प्रायोजना के अंतर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि जमा/भुगतान करने के पश्चात प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया गया है।
2. वित्त नियंत्रक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत निर्माण कार्य के अंतर्गत कोई अन्य कर नहीं दिया गया है एवं अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है तो उसे राजकोष में जमा कराने की जिम्मेदारी वित्त नियंत्रक की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231 /2020 दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस- 2020-231/2020 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 शा0 संख्या-5/2020/बी-1-196 /दस-2020-231/2020 दिनांक 11 अप्रैल, 2020 शा0 संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29.09.2020 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. पूर्व निर्गत शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31- चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03- संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनांक 29-09-2020 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शुभ्रा सक्सेना)
विशेष सचिव।

संख्या-85/2020/4019(1)/71-2-20-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in